न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग (राज0) कैम्प कोर्ट राष्ट्रीय लोक अदालत कोर्ट परिसर डीग

प्रकरण सं0 02/2025 (जी.सी.एम.एस. नं0 2025/68) पीठासीन अधिकारी :– श्री देवीसिंह (R.A.S.)

उनवान

बुद्धा सिंह पुत्र श्री मामराज जाति फकीर निवासी ग्राम नसवाडा तहसील डीग ------ प्रार्थी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग ------ असल अप्रार्थी

2 राजेश पत्नि ऊदलसिंह जाति जाट निवासी नसवाडा तहसील डीग ज़िला भरतपुर ------ तरतीवी अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

वकील प्रार्थी :– श्री बदनसिंह

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 10.05.2025

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस आशय के साथ पेश किया है कि आराजी खाता सं0 168 के आराजी खसरा नंबरान 804/0.30 किता एक रकबा 0.30 है0 किस्म वा0प्र0 बाकै ग्राम नसवाडा तहसील डीग स्थित है।

यह कि उक्त आराजी वर्णित मद सं0 2 प्रार्थना पत्र का हिस्सा 1/2 मुताबिक हिस्सा जमाबंदी खातेदारी की आराजी है तथा हिस्सा 1/2 तरतीवी अप्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस पर प्रार्थी व तरतीवी अप्रार्थी वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है।

यह कि उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम बुद्धा सिंह पुत्र मामराज जाति फकीर के स्थान पर सहवन लिपकीय त्रुटी से बुद्धा पुत्र मामराज फकीर दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थी के अन्य समस्त दस्तावेजात, व प्रार्थी के अन्य दस्तावेज बैंक खाता, वोटर आई डी कार्ड, आधार कार्ड, में प्रार्थी का नाम बुद्धा सिंह पुत्र मामराज जाति फकीर आ रहा है मगर उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में बुद्धा पुत्र मामराज जाति फकीर के कायम रहने से प्रार्थी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है और प्रार्थी अपने विधिक अधिकारों के उपयोग से बंचित रह रहा है। यह इन्द्राज प्रार्थी की बैक पर बिना प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये दर्ज किया है। सबूत में प्रार्थी के अन्य दस्तावेजात, आधार कार्ड, आईडी कार्ड, की प्रमाणित प्रति व प्रार्थी का शपथ पत्र पेश है।

यह कि उक्त गलत इन्द्राज का इल्म प्रार्थी को सर्वप्रथम दिनांक 17/05/2022 को नकल जमाबंदी लेने पर हुआ जिस पर प्रार्थी ने संबंधित अधिकारियों को इन्द्राज दुरूस्त कराने की कहा तो उन्होंने प्रार्थी के नाम का इन्द्राज दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया। उक्त गलत इन्द्राज के कायम रहने से प्रार्थी के विधिक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है। विदी वजह प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में आराजी वर्णित मद सं0 01 प्रार्थना पत्र में अपना नाम बुद्धा पुत्र मामराज जाति फकीर के स्थान पर बुद्धा सिंह पुत्र मामराज जाति फकीर दर्ज करा पाने का अधिकारी है।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

यह कि विवाद कारण दिनांक 17/05/2022 को नकल जमाबंदी लेने पर व मुकाम ग्राम नसवाडा तहसील डीग पैदा हुआ है जिसमें न्यायालय श्रीमान को सुनवाई का श्रवणाधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि आराजी वर्णित मद सं0 1 प्रार्थना पत्र में प्रार्थी का नाम बुद्धा पुत्र मामराज जाति फकीर के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में बुद्धा सिंह पुत्र मामराज जाति फकीर निवासी नसवाडा तहसील डीग दर्ज किये जाने की आज्ञा फरमायी जावे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी **अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट** को दर्ज रजिस्टर किया जाकर संबंधित अप्रार्थी/तहसीलदार जनूथर को जरिये नोटिस तलब कर रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार जनूथर के पत्रांकः एलआर/2025/40 दि0 09.01.2025 में मुता0 मौका पर्चा प0ह0 नसवाडा अंकित किया गया है कि" आज दिनांक 04.02.2024 को मुता0 आदेश श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील डीग के आदेश क्रमांक/एलआर/2022/3796 दि0 13/10/2022 की पालना में उनवानी प्रकरण बुद्धासिंह बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार डीग प्रा0 पत्र 136 एल0 आर0 एक्ट में तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट हेतु मौके पर पहुंचा। मुता0 राजस्व रिकार्ड जमाबंदी ग्राम नसवाडा के खाता सं0 168 में प्रार्थी का नाम बुद्धा पुत्र मामराज हि0 1/2 जाति फकीर सा0 नसवाडा खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मौके पर उक्त प्रकरण के बारे में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि प्रार्थी का सही नाम बुद्धा सिंह है। उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम बुद्धा दर्ज है जो कि गलत है प्रार्थी का सही नाम बुद्धासिंह है। तथा मौके पर प्रार्थी बुद्धा सिंह का ही कब्जा काश्त है। उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि प्रार्थी का एक भाई जिसका नाम बुद्धा है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। तथा बुद्धा की विरासत उसके वारिसानों के नाम दर्ज हो चुकी है।"

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी वर्णित मद सं0 1 प्रार्थना पत्र में प्रार्थी का नाम बुद्धा पुत्र मामराज जाति फकीर के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में बुद्धा सिंह पुत्र मामराज जाति फकीर निवासी नसवाडा तहसील जनूथर दर्ज किये जाने की आज्ञा फरमायी जावे।

वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के आधार कार्ड में प्रार्थी का नाम बुद्धासिंह पुत्र मामराज जाति फकीर दर्ज है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश है कि :–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। आराजी खाता सं0 168 के आराजी खसरा नंबरान 804/0.30 किता एक रकबा 0.30 है0 किस्म वा0प्र0 बाकै ग्राम नसवाडा तहसील डीग स्थित में प्रार्थी का नाम बुद्धा पुत्र मामराज जाति फकीर के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में बुद्धा सिंह पुत्र मामराज जाति फकीर निवासी नसवाडा तहसील जनूथर दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार अमल दरामद हेतु निर्णय प्रति तहसीलदार जनूथर को भिजवाई जावे।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 10.05.2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प डीग में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner